उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-7
संख्या- 13/2015/657/अडतीस-7-2015-45नरेगा/2015
लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

लोकपाल द्वारा जनपदों मे किये गये कार्यों के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनसूचना की मांग की जा रही है। अत: उक्त के दृष्टिगत जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनसामान्य द्वारा लोकपाल द्वारा जनपदों में किये गये कार्यों के संबंध में मांगी जाने वाली सूचना को उपलब्ध कराये जाने हेतु मनरेगा योजना का कार्य देख रहे उपायुक्तों (श्रम रोजगार)/परियोजना निदेशकों, डीआरडीए को जन सूचना अधिकारी एवं संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को अपीलीय अधिकारी एतदद्वारा नामित किया जाता है।

2- नामित पदाभिहित अधिकारियों/जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नियत समय सीमा के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराया जाना/अपीलों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(गोविन्द राजू एन0एस0)
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2015/ 657(1)/अइतीस-7-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपीलीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त उपायुक्त (श्रम रोजगार)/परियोजना निदेशक, डीआरडीए(जन सूचना अधिकारी), उ0प्र0।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।